राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन – क्रियान्वयन दिशा–निर्देश
वर्ष 2014–15

1.0 परिचय

भारत सरकार द्वारा राज्य में वर्ष 2014–15 के लिए शत्–प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन की कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया है। इसका मुख्य उद्धेश्य आयुष उद्योग को लगातार कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये औषधीय पौधों का कृषिकरण करना है । इससे जंगलों के विनाश को रोका जाकर राज्य में कृषि विविधिकरण एवं निर्यात को बढावा दिया जा सकेगा एवं प्रति इकाई अधिकतम आमदनी प्राप्त की जा सकेगी। राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु औषधीय पौधों की मौडल/लघु नर्सरी (सार्वजनिक), कृषिकरण (खेती), मार्केट इनटेलीजेन्स एवं मिशन मैनेजमेन्ट के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है ।

2.0 सामान्य निर्देश

योजना के सामान्य दिशा निर्देश निम्न प्रकार से हैः–

1. कृषक/उद्यमी/लाभार्थी राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के अन्तर्गत अनुदान के लिये परियोजना संबंधित बैंक में प्रेषित करेगा तथा बैंक से ऋण स्वीकृत करने के सहमति पत्र की प्रति के साथ परियोजना प्रस्ताव को संबंधित जिला होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी (उद्यान विभाग) के कार्यालय में आवेदन करेगा।
2. परियोजना प्रस्ताव के लिये संबंधित सक्षम अधिकारी एल.ओ.आई. जारी कर प्रार्थी एवं संबंधित बैंक को सूचित करेंगे।
3. बैंक द्वारा प्रार्थी को ऋण जारी करने के पश्चात् बैंक द्वारा संबंधित कार्यालय को अनुदान राशि जारी करने हेतु पत्र लिखा जायेगा ।
4. संबंधित कार्यालय द्वारा 15 दिवस के अन्दर भौतिक सत्यापन किया जाकर अनुदान की राशि प्रार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन द्वारा जमा करायी जायेगी ।
5. स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी संस्थाओं को बैंक ऋण लिया जाना आवश्यक नहीं है । अतः स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट को अनुदान राशि रेखांकित चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से देय होगी।
6. भारत सरकार द्वारा निर्धारित ईकाई लागत पर देय अनुदान की सीमा के अनुरूप अनुदान देय होगा।
7. औषधीय फसलों के बगीचों की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही जिला स्तरीय होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसाईटी द्वारा की जा सकेगी जबकि नर्सरी विकास (सार्वजनिक) के प्रस्ताव जिला स्तर से अनुशंसा के पश्चात् अनुमोदन हेतु मिशन निदेशक को भिजवाये जाने आवश्यक है ।
8. परियोजना प्रस्ताव जिले के लिये चयनित औषधीय फसलों के लिये ही स्वीकृत किये जायेंगे।
9. कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु कुल व्यय की जाने वाली राशि की 5 प्रतिशत राशि मिशन मैनेजमेंट मद में व्यय की जा सकती है ।
10. कृषक द्वारा बैंक ऋण प्राप्त कर बगीचा स्थापित करने के उपरांत संबंधित कार्यालय द्वारा 15 दिवस के अन्दर भौतिक सत्यापन किया जाकर अनुदान की राशि प्रार्थी के ऋण खाते में ऑनलाइन द्वारा जमा करायी जायेगी ।
11. कृषक द्वारा प्रस्तुत परियोजना के लिये आवश्यक बैंक ऋण की स्वीकृति का सहमति पत्र प्राप्त होने पर अनुदान की एल.ओ.आई. जारी कर प्रार्थी एवं संबंधित बैंक को सूचित करेंगे।

12.बैंक द्वारा प्रार्थी को ऋण जारी करने के पश्चात् बैंक द्वारा संबंधित कार्यालय को अनुदान राशि जारी करने हेतु पत्र लिखा जायेगा ।

13.स्वयं सहायता समूह/कृषक सहकारी संस्थायें/सहकारी संस्थायें/स्वयं सेवी संगठन/ट्रस्ट आदि द्वारा बगीचे पर अनुदान प्राप्त करने के लिए जमीन के दस्तावेज सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित कार्यालय द्वारा 15 दिवस के अन्दर भौतिक सत्यापन किया जाकर नियमानुसार अनुदान की राशि संबंधित के बैंक खाते में रेखांकित चेक/ड्राफ्ट द्वारा जमा करायी जायेगी। स्वयं की भूमि नहीं होने की स्थिति में कम से कम पांच वर्ष की रजिस्टर्ड लीज डीड के दस्तावेज सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित कार्यालय द्वारा 15 दिवस के अन्दर भौतिक सत्यापन किया जाकर नियमानुसार अनुदान की राशि संबंधित के बैंक खाते में रेखांकित चेक/ड्राफ्ट द्वारा जमा करायी जायेगी।

14.किसी कृषक/संस्था द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अन्तर्गत फल बगीचों की स्थापना पर अनुदान प्राप्त किये जाने की स्थिति में उन्हें अर्न्तशस्य के रूप में औषधीय फसलें लगाने पर नियमानुसार अनुदान देय होगा।

15.कृषक द्वारा उसी अवधि में किसी फसल विशेष के लिये अन्य संस्था/विभाग में अनुदान प्राप्त नही करने के आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

16.कृषक/प्रार्थी द्वारा बहुस्तरीय (Multistorey) एवं मिश्रित फसलें (Mixed Crop) लगाने पर उन फसलों पर आनुपातिक रूप से अनुदान दिया जावेगा।

3.0 नर्सरी स्थापना

औषधीय फसलों की उच्च गुणवत्ता व अधिक उत्पादन क्षमतायुक्त पौध रोपण सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की जलवायु के अनुकूल राज्य हेतु अनुमोदित पौधों की नई नर्सरियां स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। नर्सरी स्थापना कार्यक्रम परियोजना आधारित है।

4.0 मॉडल नर्सरी :

मॉडल नर्सरी का क्षेत्रफल 4 हैक्टेयर होगा। यह नर्सरी प्रति वर्ष लगभग 3 लाख पौधे उत्पादित करेगी। पौध रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु नर्सरी के बुनियादी ढांचें की स्थापना के लिये अनुमानित लागत 20.00 लाख होगी। मॉडल नर्सरी की स्थापना के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में 100 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20.00 लाख रूपये प्रति ईकाई सहायता देय होगी। मॉडल नर्सरी में निम्नलिखित सुविधायें विकसित की जानी होगी–

1. पौध रोपण सामग्री के तैयार करने, हार्डनिंग एवं रख–रखाव के लिये 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 35 प्रतिशत लाईट स्क्रीनिंग और सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणालीयुक्त शेडनेट हाऊस का निर्माण।
2. कीटरोधी नेट, फोगिंग एवं स्प्रिंकलर प्रणाली सहित 1000 वर्गमीटर का प्रोपेगेशन हाउस का निर्माण।
3. सुनिश्चित सिंचाई हेतु पम्प हाऊस और 50 हजार लीटर क्षमता का जल भण्डारण टैंक का निर्माण।
4. पौध रोपण उत्पादन में काम में ली जाने वाली मृदा व अन्य सामग्री के उपचार के लिये बायलर्स के साथ सोयल /स्टीम स्टरलाईजेशन प्रणाली।
5. मातृवृक्ष ब्लॉक की स्थापना।

5.0 छोटी नर्सरीः

छोटी नर्सरी का न्यूनतम क्षेत्रफल एक हैक्टेयर होगा जिसमें प्रति वर्ष कम से कम 60,000 पौधें उत्पादित करने होंगे एवं लगभग 9–12 माह की अवधि तक पौधों का रख–रखाव किया जाएगा। छोटी नर्सरियों की लागत 4.00 लाख रू. प्रति ईकाई होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वित्त सहायता 100

प्रतिशत होगी। नर्सरी पर पौध रोपण सामग्री उत्पादन के लिये निम्नलिखित बुनियादी सुविधायें विकसित करनी होंगी।

1. 35 प्रतिशत तक लाईट स्क्रीन वाला 1000 वर्गमीटर का नेट हाऊस।
2. नेट हाऊस में एक मीटर आकार की उठी हुई क्यारियों का निर्माण।
3. खरपतवार और भूमि जनित रोग कारकों को नियंत्रित करने के लिए क्यारियों के तल पर मल्चिंग शीट कवर का प्रयोग।
4. पूरे नैट हाऊस में प्रत्येक क्यारी में सूक्ष्म छिड़काव सिंचाई प्रणाली का प्रावधान।
5. नर्सरी में मृदा मीडिया के सौर स्टरलाइजेशन के लिए प्रावधान।

6.0 सार्वजनिक क्षेत्र हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया

6.1 सार्वजनिक क्षेत्र में नर्सरी स्थापना के लिये मॉडल व छोटी नर्सरी के लिये क्रमशः चार हैक्टेयर व एक हैक्टेयर नया क्षेत्रफल अतिरिक्त होना आवश्यक है। इनमे उच्च गुणवत्ता युक्त पौध उत्पादन के लिये निर्धारित मापदण्ड अनुसार आवश्यक बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास हेतु निम्न सूचना के साथ परियोजना प्रस्ताव राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को प्रस्तुत करने होंगे।

1. संस्थान का नाम जिसके अधीन नर्सरी कार्यरत है।
2. नर्सरी का कुल क्षेत्रफल व नई नर्सरी स्थापना के लिये उपलब्ध अतिरिक्त क्षेत्रफल।
3. फसल/ फसलों के नाम जिसके लिये नर्सरी स्थापित की जानी है।
4. विकसित की जाने वाली बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का विवरण व उनकी लागत के विस्तृत परियोजना प्रस्ताव।

6.2 परियोजना प्रस्ताव राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी द्वारा परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति आदेश जारी किये जाकर निर्धारित राशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी। नर्सरियों के बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के कार्य खुली निविदाएं आमंत्रित करके इस क्षेत्र में दक्षता रखने वाली अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी/निजी फर्म/कम्पनी आदि से करवाये जाने होंगे। नर्सरी स्थापना का कार्य पूर्ण होने पर संबंधित संस्थान द्वारा राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी, जयपुर को कार्य पूर्ण होने की सूचना से अवगत कराते हुये निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। नर्सरी द्वारा उत्पादित पौध रोपण सामग्री को आवश्यक्ता होने पर क्रय करने का प्रथम अधिकार (निर्धारित दरों पर) राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी का रहेगा।

7.0 औषधीय पौधों की खेती हेतु सहायता

राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन अर्न्तगत कृषि जलवायुवीय स्थितियों के अनुसार चयनित औषधीय फसलों की खेती हेतु अनुदान/सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इसके लिये परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृति 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर की जायेगी।

1. औषधीय फसलों की खेती हेतु समूह गठित होने पर ही सहायता देय होगी।
2. प्रत्येक समूह में कम से कम 5 कृषक व 2.0 हैक्टेयर भूमि होना आवश्यक है।
3. उक्त कृषक व भूमि अधिकतम तीन साथ में लगे हुए गांवों से हो सकती है।
4. एक कृषक को एक बार अनुदान से लाभान्वित होने के पश्चात् तीन वर्ष से पूर्व एक ही भूमि पर औषधीय पौधों की खेती हेतु अनुदान देय नहीं होगा।

8.0 चयनित औषधीय फसलों की खेती एवं नर्सरी के जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य – निम्नांकित जिलों के लिये प्राप्त प्रस्ताव अनुसार चयनित औषधीय फसलों के लिये अनुदान हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों एवं नर्सरी का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	कम्पोनेन्ट	जिला/संस्था का नाम	इकाई	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रूपये में)
1.	**नर्सरी स्थापना**				
(अ)	मॉडल नर्सरी (सार्वजनिक क्षेत्र में)	एस.के.आर.ए.यू. बीकानेर	**संख्या**	1	20.00
(ब)	छोटी नर्सरी (सार्वजनिक क्षेत्र में)	एम.पी.यू.ए.टी. उदयपुर	**संख्या**	1	4.00
		योग		2	24.00
2.	**औषधीय फसलों की खेती**				
(अ)	अश्वगंधा	चित्तौड़गढ़	**हैक्टर में**	50	2.50
		कोटा	**हैक्टर में**	50	2.50
		योग		**100**	**5.00**
(ब)	मुलैठी	जैसलमैर	**हैक्टर में**	6	2.25
		बाड़मेर	**हैक्टर में**	5	1.875
		जालौर	**हैक्टर में**	2	0.75
		योग		**13**	**4.875**
(स)	सोनामुखी	अजमेर	**हैक्टर में**	10	0.50
		बीकानेर	**हैक्टर में**	20	1.00
		योग		**30**	**1.50**
(द)	गुग्गल	अजमेर	**हैक्टर में**	4	3.12
		योग		**4**	**3.12**
		महायोग		**147**	**14.495**

9.0 अनुदान

1. कृषकों को औषधीय पौधों की खेती करने पर अनुदान सहायता परियोजना आधारित क्रेडिट लिंक्ड बेक एण्डेड के रूप में जिसमें परियोजना लागत का 20 प्रतिशत तक ऋण लेना अनिवार्य है।
2. कृषक सहकारी समिति, सरकारी कम्पनी, स्वयं सहायता समूह, ट्रस्ट, कृषक संघ आदि के पास यदि खेती के लिए राशि उपलब्ध है, तो उनको अनुदान प्राप्त करने के लिए बैंक ऋण की बाध्यता नहीं है परन्तु उनकी स्थिति आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने का प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही संबंधित सदस्यों जिनके द्वारा खेती की जानी है उनका सदस्यता के सम्बन्ध में 10/–रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सम्बन्धित संस्था के उत्पादन खरीदने की गारण्टी का अनुबन्ध 100/–रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा।
3. परियोजना प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने होंगेः–
    I. भू स्वामित्व के प्रमाण के लिये नवीनतम जमाबंदी एवं नक्शा की छाया प्रति (अधिकतम 6 माह पुरानी)
    II. बैंक से ऋण स्वीकृति का सहमति पत्र
    III. बीज, पौध सामग्री एवं अन्य आदानों के कोटेशन

4. वार्षिक फसल पर अनुदान वार्षिक आधार पर व द्विवर्षीय फसलों पर दो वर्ष में प्रथम वर्ष 60 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 40 प्रतिशत तथा बहुवर्षीय फसलों पर तीन वर्ष में 65:20:15 प्रतिशत के अनुपात में अनुदान देय होगा। मुलैठी की खेती करने वाले कृषको को देय अनुदान का प्रथम वर्ष 75 प्रतिशत एवं गुग्गल की खेती करने वाले कृषको को देय अनुदान का प्रथम वर्ष में 65 प्रतिशत की दर से अनुदान देय होगा।
5. अनुदान के लिए पात्रताः–
   i. उत्पादक, कृषक, किसान
   ii. उत्पादक संगठन, संघ, स्वयं सहायता समूह, कार्पोरेट, उत्पादक सहकारी

10.0 अनुदान राशि की गणना

10.1 औषधीय बगीचों की स्थापना पर निम्नानुसार इकाई लागत के आधार पर अनुदान की गणना की जाकर फसलवार अनुदान/सहायता देय होगी–

(राशि रूपये प्रति हैक्टेयर)

फसल का नाम	सांकेतिक लागत	देय अनुदान %	अनुदान राशि
अश्वगंधा	25000	20	5000
ब्राह्मी	40000	20	8000
गिलोय	27500	20	5500
गुग्गल	160000	75	120000
ग्वारपाठा	42500	20	8500
कलिहारी	137500	50	68750
कालमेघ	25000	20	5000
कौंच	20000	20	4000
मुलेठी	100000	50	50000
सफेद मूसली	312500	20	62500
सोनामुखी	25000	20	5000
सर्पगंधा	62500	50	31250
सतावरी	62500	20	12500
तुलसी	30000	20	6000

10.2 औषधीय पौधों के बगीचों पर अनुदान के लिये परियोजना प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने होंगे, जो परिशिष्ठ – 1 पर संलग्न है एवं इसके लिये जारी की जाने वाली एल.ओ.आई. (आशय–पत्र) का प्रपत्र परिशिष्ठ– 2 पर संलग्न है।

परिशिष्ठ–1

राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये परियोजना प्रस्ताव

उपनिदेशक कृषि विस्तार एवं सदस्य सचिव/
सहायक निदेशक उद्यान एवं सदस्य सचिव
होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी
जिला : .....

प्रार्थी का फोटो चिपकावें

विषय :– राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन अन्तर्गत अनुदान/सहायता प्राप्त करने हेतु।

महोदय,

मैं उद्यानिकी विकास हेतु राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन के तहत अनुदानित/सहायता आधारित कार्यक्रम लेना चाहता हूं। विवरण निम्न प्रकार है–

1.	कृषक/संस्था/आवेदन का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	कृषक श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य)	
4.	संस्था का प्रकार , यदि लागू है (सरकारी/पंजीकृत)	
5.	पूर्ण पता	ग्राम..... ग्राम पंचायत..... तहसील..... जिला.....
6.	अनुदानित कार्यक्रम का नाम	
7.	फसल का नाम जो लेना चाहते हैं	
8.	खसरा नम्बर जिसमें कार्यक्रम/गतिविधि लेनी है	
9.	सिंचाई का साधन कुंआ/नहर/डीजल इंजन/मोटर हॉर्सपावर	
10.	मिट्टी व पानी की जांच रिपोर्ट (यदि आवश्यक हो तो)	
11.	फसल का नाम/क्षेत्रफल	
	नाम फसल	क्षेत्रफल
(i)		
(ii)		
(iii)		
12.	परियोजना की लागत (रूपये में)	
(i)	बीज/पौधों की कीमत	
(ii)	खाद व उर्वरक की लागत	
(iii)	पौध संरक्षण रसायन/जैविक कीटनाशकों की लागत	
(iv)	सिंचाई के साधन की लागत	
(v)	मजदूरी	
(vi)	खेत तैयार करने की लागत	
(vii)	अन्य लागत	
(viii)	कुल लागत	

13. संलग्न दस्तावेजः

I. भू स्वामित्व के प्रमाण के लिये नवीनतम जमाबंदी एवं नक्शा की प्रति (अधिकतम 6 माह पुरानी)

II. बैंक से ऋण स्वीकृति का सहमति पत्र

III. बीज, पौध सामग्री एवं अन्य आदानों के कोटेशन

शपथ पत्र

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है। योजना अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम की कृषक हिस्सा राशि मैं स्वयं वहन करूंगा। कार्यक्रम/गतिविधि किसी अन्य को हस्तान्तरित या बेचान नहीं करूंगा। मैं यह सत्यापित करता हूं कि मैंने इस कार्यक्रम के लिये किसी अन्य संस्था या योजना में सहायता प्राप्त नहीं की है।

हस्ताक्षर कृषक/संस्था प्रभारी

दिनांक :

परिशिष्ठ–2

आशय–पत्र (एल.ओ.आई.)

1. आवेदक का नाम व पता
2. प्रस्तावित परियोजना का नाम
3. फसल
4. खसरा नं
5. फसल का क्षेत्रफल

   नाम फसल क्षेत्रफल

   (i)

   (ii)

   (iii)
6. फसल की उत्पादन लागत
7. ऋण स्वीकृत करने वाली बैंक का नाम व पता
8. सिंचाई का साधन
9. विभाग द्वारा अनुदान की सिफारिश निम्न प्रकार की जाती है

उप/सहायक निदेशक उद्यान एवं
सदस्य सचिव
होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी
जिला.....